भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 124**

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

**सीएससी की स्थापना**

**124.** **श्री रमेश चन्द्र कौशिक**:
**श्री जुगल किशोर शर्मा:**
**श्रीमती लॉकेट चटर्जी:**
**श्रीमती रमा देवी:**
**श्री सुनील कुमार पिन्टू:**
**श्रीमती नवनित रवि राणा:**
**श्री दिलेश्वर कामैत:**
**श्री दिलीप घोष:**
**श्रीमती रीती पाठक:**
**श्रीमती गीता कोडा:**
**श्री अजय कुमार मंडल:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्राम पंचायतों में साइबर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश विशेषरूप से जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में स्थापित सीएससी की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त राज्यों सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों को समर्पित सीएससी कब तक मिलने की संभावना है ?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)**

**(क)** से **(घ)**: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सामान्य सेवा केंद्र 2.0 परियोजना को लागू किया है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एसपीवी के रूप में कार्यान्वयन एजेंसी है। इस परियोजना का उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान करना और ग्राम पंचायत स्तर तक सीएससी नेटवर्क का विस्तार करना है। वित्तीय वर्ष (एफ़वाई) 2021-22के दौरान सीएससी नेटवर्क के माध्यम से 69,689.94 करोड़ रुपये के कुल लेनदेन मूल्य के लिए कुल 5,533.42 लाख लेनदेन किए गए हैं।सीएससी के माध्यम से 400 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें सरकारी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और आधार से संबंधित सेवाएं, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान और ई-बाणिज्य शामिल हैं।

दिनांक 31.10.2022 तक की स्थिति के अनुसार 5,21,225 सीएससी प्रचालनरतथे, जिनमें से 4,14,766 सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचालनरत थे। बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालित सीएससी की संख्या निम्नानुसार है:

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | परिचालन सीएससी की संख्या |
|---|---|

| | (ग्रामीण और शहरी) |
|---|---|
| बिहार | 49,981 |
| हरियाणा | 18,614 |
| झारखंड | 20,515 |
| मध्य प्रदेश | 44,799 |
| पश्चिम बंगाल | 25,397 |
| जम्मू और कश्मीर | 6,525 |

सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों द्वारा स्व-स्थायी आधार पर चलाए जाते हैं और किसी विशेष इलाके में सीएससी की स्थापना संचालन की व्यवहार्यता, इसकी सेवाओं की मांग जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। कार्यान्वयन एजेंसी सभी ग्राम पंचायतों में कई प्रकार की सेवाओं का विस्तार करके और एकीकृत वितरण मंच को मजबूत करके व्यवहार्यता में सुधार के लिए लगातार प्रयास करती है।

******